

9, 10, 11, 14, 15



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202204120122762
वाद संख्या:- 22762/2022

ब्लूंबिंप्रांलिंद्वांअंहंविवेकपाण्डेय बनाम एचके रिगल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एलएलपी द्वारा पार्टनर कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर इतिहास जारी की गयी। जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा प्रेषित बैनामा की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। कालान्तर में वाद दिनांक 14.12.2022 साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया जिसके विरुद्ध वादी द्वारा बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि मूल शिवपाल पुत्र हीरालाल के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्रगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427-1432 फ० की खाता संख्या-00185 की गाटा संख्या-12/0.0380हे० मे से रकबा 0.0042 हे० व 371/0.2530हे० मे से रकबा 0.0028 हे० व 378/0.1390 हे० मे से रकबा 0.0158 हे० व 380/0.5420हे० मे से रकबा 0.0602 हे० व खाता संख्या-00552 की गाटा-377/0.2530हे० मे से रकबा 0.0562हे० भूराजस्व परता खाता से बिक्रेता एचके रिगल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एलएलपी द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता ब्लूस्पेस बिल्डकॉन प्रा०लि० कार्यालय पता विला नं० 4 शालीमार ग्रेड 10 जापलिंग रोड जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी१/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा क्रमांक 22148 दिनांक 03.10.2022 (प्रतिफल 28,23,000) बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 22126

(भूपेन्द्र विक्रम सिंह)

तहसीलदार

नवाबगंज, बाराबंकी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरिकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, प्रतापगंज
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202304120113585
वाद संख्या:- 13585/2023
स्टेलर सीमेन्ट प्रा० लि० द्वारा अ० ह० विवेक पाण्डेय बनाम कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/10/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद उपनिबन्धक कार्यालय नवाबगंज दिनांकित 21.06.2023 के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इश्टिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ० प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत षपथपत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल हुआ। उक्त वाद दि० 02.08..2023 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रष्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना-देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 798 के गाटा सं० 17/0.3600 हे० में सम्पूर्ण अंश से विक्रेता एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता स्टेलर सीमेन्ट प्रा० लि० कार्यालय पता ए 5 यूपीएस आईडीसी सरोजनी नगर जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 14898 दिनांक 20-06-2023 (प्रतिफल 8540000/-रू०)के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

प्रतापगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, नवाबगंज
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202204120130569

वाद संख्या:- 30569/2022

गैलेन्ट लाइफ स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विवेक पाण्डेय बनाम जतिन इन्फ्राबिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा अमित कुमार सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 13/04/2023

ग्राम-खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ0 के खाता सं0 233 के गाटा सं0 5/0.3920हे0 व 27ड/0.2290हे0 व 37/0.1390हे0 व 52क/0.0270हे0 व 53क/0.0900हे0 व 102/0.2050हे0 व 117क/0.1030हे0 व 165/0.1840हे0 सम्पूर्ण अंश से व खाता सं0 234 के गाटा सं0 62/0.1140हे0 व 93/0.2530हे0 सम्पूर्ण अंश से विक्रेता जतिन इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित कुमार सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खनका, तेलीबाग, लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता गैलेन्ट लाइफस्पेस डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री आर0 एस0 पाण्डेय निवासी सी-1/190, विशेषखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं0 23786 दिनांक 02-11-2022 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

नवाबगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, प्रतापगंज
मण्डल :- अयोध्या, जनपद :- बाराबंकी, तहसील :- नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202304120113588

वाद संख्या:- 13588/2023

स्टे०सी०प्र०लि०द्व०अ०विवेकपाण्डेय बनाम एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एल०एल०पी० द्वारा पा० कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 07/11/2025

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व उधरण खतौनी दाखिल हुआ। उक्त वाद दि० 02.08.2023 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना-देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427ता 1432फ० के खाता सं० 60 के गाटा सं० 353/0.0610हे० व खाता सं० 61 के गाटा सं० 33/0.1400हे० व गाटा सं० 34/0.2100 हे० गाटा सं० 35/0.2340हे० व गाटा सं० 36/0.0920 हे० व गाटा सं० 41/0.2840हे० व गाटा सं० 79/0.2390हे० व गाटा सं० 87/0.1580 हे० व गाटा सं० 167/0.1900हे० कुल 9 किता रकबा 1.6080 हे० में से 1/6 भाग रकबा 0.2680 हे० से विक्रेता एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता स्टेलर सीमेन्ट प्रा०लि० कार्यालय पता ए-5 यूपीएस आईडीसी सरोजनी नगर जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी-सी1/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 14904 दिनांक 20-06-2023 (प्रतिफल 6355000/-रू०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

प्रतापगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

53
9241

वाद सं०-955


निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.04.2025 के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 23-08-2025 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र०शा० संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र दाखिल हुआ। कंता विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय की आरे से जरिये नोटरी शपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि मैंने ग्राम खजूरगांव परगना देवा की गाटा सं० 33, 34, 35, 36, 41, 79, 87, 167, 353 में भूमि अष्ट विनायक इन्फ्रा से दिनांक 01.04.2025 को कय की गई थी। जिसमें गाटा सं० 353 रकबा 0.0610हे० में भूमि शेष नहीं बचती है। ऐसी स्थिति उपरोक्त गाटा सं० 353 को छोड़कर आदेश पारित कर दिया जावे जिसमें शपथकर्ता सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार कंता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व कंता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील नवाबगंज की खतीनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं०-0061 के गाटा सं० 33/0.1400हे० में से 0.0467हे० से व गाटा सं० 34/0.2100हे० में से 0.0700हे० से व गाटा सं० 35/0.2340हे० में से 0.0780हे० से व गाटा सं० 36/0.0920हे० में से 0.0307हे० से व गाटा सं० 41/0.2840हे० में से 0.0946हे० से व गाटा सं० 79/0.2390हे० में से 0.0796हे० से व गाटा सं० 87/0.1580हे० में से 0.0526हे० से व गाटा सं० 167/0.1900हे० में से 0.0633हे० से विक्रेता अष्टविनायक इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खरीका तेलीबाग जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर कंता बेस्टोन स्टेट प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी 1/190 विशेषखण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 9261 दिनांक 01-04-2025 (प्रतिफल 3,50,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।


नायब तहसीलदार
नवाबगंज, बाराबंकी



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, प्रतापगंज
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202304120113584
वाद संख्या:- 13584/2023
स्टेलर सीमेन्ट प्रा०लि० द्वारा अ०ह० विवेक पाण्डेय बनाम कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/11/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इष्टिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत षपथपत्र दाखिल हुआ। उक्त वाद दि० 27.07.2023 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। क्रेता के पास प्रष्णगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगाँव परगना-देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1049 के गाटा सं० 50ख/0.0250 हे० मे से 0.0167 हे० व खाता सं० 1049 के गाटा सं० 58/0.2300 हे० मे से 0.1533 हे० व खाता सं० 1049 के गाटा सं० 125/0.2780 हे० मे से 0.1853 हे० कुल तीन किता कुल रकबा 0.5330 हे० मे से विक्रीत रकबा 0.3553 हे० से विक्रेता एच०एम०एस०ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता स्टेलर सीमेन्ट प्रा०लि० द्वारा विवेक पाण्डेय पुत्र श्रीराम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 14896 दिनांक 20-06-2023(प्रतिफल 8425,000/-रु०)के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

प्रतापगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सफेदाबाद
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120127825

वाद संख्या:- 27825/2025

बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय बनाम डा० अनुराग यादव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/11/2025

वाद सं० 2298

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी की नकल दाखिल किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार विक्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-
आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 285 के गाटा सं० 51मि०/0.067हे० मे से रकबा 0.00995हे० से विक्रेता डा० अनुराग यादव पुत्र स्व० राज नारायन यादव निवासी सी-1279 इन्दिरा नगर लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी1/190 विशेष खण्ड गोमती नगर जिला लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 19236 दिनांक 07-07-2025 (प्रतिफल 4,49,000रु०/-) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
सफेदाबाद, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202204120127421
वाद संख्या:- 27421/2022
कालिस्ता एम्पायर प्रा० लि० विवेक बनाम रामकिशोर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 29/03/2025

ग्राम-खजूरगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1165 के गाटा सं० 69/0.3670हे० में से 0.1147हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 118/0.3670हे० में से 0.1147हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 120/1040हे० में से 0.0325हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 374/3540हे० में से 0.1106हे० कुल 4 किता 1.1920हे० में से 0.3725हे० से विक्रेता रामकिशोर पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम तिन्दोला परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 69/0.3670हे० में से 0.1147हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 118/0.3670हे० में से 0.1147हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 120/1040हे० में से 0.0325हे० व खाता सं० 1165 के गाटा सं० 374/3540हे० में से 0.1106हे० कुल 4 किता 1.1920हे० में से 0.3725हे० से विक्रेता नन्दकिशोर पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम तिन्दोला परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता कालिस्ता एम्पायर प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री रामसहाय पाण्डेय निवासी सी० 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 25840 दिनांक 30-11-2022 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202204120125111

वाद संख्या:- 25111/2022

ग्रे०रॉ०डे०प्रा०लि०द्व०अ०ह०विवेकपाण्डेय बनाम बृजेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 25/03/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर इतिहास जारी की गयी। जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा प्रेषित बैनामा की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। कालान्तर में वाद दिनांक 03.01.2023 साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया जिसके विरुद्ध वादी द्वारा बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्घरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि मूल शिवपाल पुत्र हीरालाल के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427-1432 फ० की खाता संख्या-00447 की गाटा सं०-95/0.2750 हे० मे से रकबा-0.1375 हे० व खाता संख्या-00525 की गाटा सं०-112/0.3790 हे० सम्पूर्ण अंश भूराजस्व परता खाता से बिक्रेता श्रीमती कुमुद वर्मा पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार व बृजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रवीन्द्र कुमार व ज्ञानेन्द्र कुमार व प्रमेन्द्र कुमार व यतेन्द्र कुमार पुत्रगण आत्मदेव निवासीगण ग्राम तिन्दोला परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम निरस्त करके क्रेता ग्रे रॉक डेवलपर्स प्रा०लि० कार्यालय पता विला नं० 4 शालीमार रोड 10 जापलिंग रोडजिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/१९० विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 23725 दिनांक 01.11.2022 (प्रतिफल 1,42,90,000/-रु०) बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार

नवाबगंज, बाराबंकी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सतरिख
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नबाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120120166
वाद संख्या:- 20166/2025

वेटिकन इस्टेट प्रा० लि० द्वारा प्रमोद कुमार बनाम ऊषा टेक्नोबिल्डर्स प्रा० लि० द्वारा पंकज वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 23/07/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी ने साक्ष्य में बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-
आदेश

ग्राम खजूरगाँव परगना देवा तहसील नबाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 76 के गाटा सं० 164/0.0940 हे० में से रकबा 0.0705 हे० से विक्रेता ऊषा टेक्नोबिल्डर्स प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर पंकज वर्मा पुत्र जयशंकर वर्मा निवासी सी-पी 3 विक्रान्त खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता वेटिकन इस्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र एच० एन० श्रीवास्तव निवासी 503/67/1 मनकामेश्वर मंदिर मार्ग बरौलिया आंशिक डालीगंज लखनऊ व गैलेन्ट लाईफस्पेस डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र रामसहाय पाण्डेय निवासी सी1/190 विशेषखण्ड गोमतीनगर लखनऊ नाम जरिये बैनामा सं० 22212 दिनांक 23-11-2021 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
सतरिख, बाराबंकी

25752
25722

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल :- अयोध्या, जनपद :- बाराबंकी, तहसील :- नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202504120100354
वाद संख्या :- 354/2025
विवेक पाण्डेय बनाम सुरेश चन्द्र
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 04/11/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 12.02.2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ० प्र० रा० संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्घरण खतौनी दाखिल हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथ पत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-
आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं०-612 के गाटा सं० 94/0.4190हे० मे से 0.0466हे० से व गाटा सं० 98/0.6260हे० में से 0.0696हे० से व खाता सं० 611 के गाटा सं० 168/0.6340हे० में से 0.2113हे० से विक्रेता सुरेश चन्द्र व रमेश चन्द्र पुत्रगण भरथरी निवासीगण ग्राम खजूरगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी व रामखेलावन पुत्र कन्धईलाल निवासी वाजिदपुर असोहना मझगावां शरीफ तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता स्टेलर सीमेन्ट्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/१९०, विशेषखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र क्र० 33743 दिनांक 31.12.2024 (प्रतिफल 96,61,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सफेदाबाद
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120122094
वाद संख्या:- 22094/2025
विवेक पाण्डेय बनाम प्रदीप कुमार वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 06/11/2025

वाद सं० 1808
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09.06.2025 के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इश्तिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। हल्का लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दिनांक 29-08-2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने प्रार्थनापत्र बाजदायर प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 612 के गाटा सं० 98/0.6260हे० मे से रकबा 0.0174हे० व खाता सं० 611 के गाटा सं० 168/0.6340हे० मे से रकबा 0.0528हे० व खाता सं० 612 के गाटा सं० 94/0.4190हे० मे से रकबा 0.0117हे० से विक्रेता प्रदीप कुमार वर्मा व सत्य प्रकाश व विजय शंकर वर्मा व संदीप कुमार वर्मा पुत्रगण भगौती प्रसाद निवासी गण-ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता सूर्य लक्ष्मी इन्फ्राकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी१/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 16246 दिनांक 09-06-2025 (प्रतिफल 27,42,000रु०/-) के आधार पर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
सफेदाबाद, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सफेदाबाद
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202504120110529

वाद संख्या :- 10529/2025

सूर्य लक्ष्मी इन्फ्राकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्त० विवेक पाण्डेय बनाम राम नरायन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि :- 06/11/2025

वाद सं०

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.03.2025 के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इश्तिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। हल्का लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दिनांक 26-05-2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने प्रार्थनापत्र बाजदायर प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 612 के गाटा सं० 94/0.4190हे० में से रकबा 0.0350हे० व गाटा सं० 98/0.6260हे० में से रकबा 0.0522हे० व खाता सं० 611 के गाटा सं० 168/0.6340हे० में से रकबा 0.1585हे० कुल रकबा 0.2457हे० अपने सम्पूर्ण भाग से विक्रेता राम नरायन व राम सजीवन पुत्रगण मथुरा निवासीगण-ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता सूर्य लक्ष्मी इन्फ्राकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी० 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 7990 दिनांक 19-03-2025 (प्रतिफल 82,55,000रू०/-) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
सफेदाबाद, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सफेदाबाद
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नबाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120127947
वाद संख्या:- 27947/2025
स्टेलर सीमेन्ट प्रा० लि० द्वारा हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय बनाम इरफान हुसैन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 16/10/2025

वाद सं० 2354

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी की नकल दाखिल किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार विक्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-
आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1094 के गाटा सं० 174ख/0.0530हे० मे से रकबा 0.0329हे० से विक्रेता इरफान हुसैन पुत्र इशतियाक हुसैन निवासी 52/31 उदयगंज हुसैनगंज शहर व जिला लखनऊ व अब्दुल हफीज पुत्र मोहम्मद हसीब निवासी 636/287 हनुमंत नगर तकरोही इन्दिरानगर जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता स्टेलर सीमेन्ट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेष खण्ड गोमती नगर जिला लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 32638 दिनांक 18-12-2023 (प्रतिफल 15,00,000रु०/-) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
सफेदाबाद, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, सतरिख
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120120165
वाद संख्या:- 20165/2025

बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा विवेक पाण्डेय बनाम सम्राट कालोनाइजर्स प्रा० लि० द्वारा कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 23/07/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी ने साक्ष्य में बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगाँव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1043 के गाटा सं० 243/0.2660 हे० में से रकबा 0.0191 हे० से विक्रेता सम्राट कालोनाइजर्स कार्यालय पता 3/88 विजयन्त खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र रामसहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेषखण्ड गोमतीनगर लखनऊ नाम जरिये बैनामा सं० 21908 दिनांक 24-08-2023 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
सतरिख, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

वाद सं०-


निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के नामान्तरण प्रतिवेदन के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1153 के गाटा सं० 27छ/0.0380हे० सम्पूर्ण अंश व खाता सं० 1154 के गाटा सं० 27ड/0.0380हे० सम्पूर्ण अंश से विक्रेता एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रॉलि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता वेटिकन स्टेट प्रॉलि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 22562 दिनांक 12-10-2022 (प्रतिफल 24,92,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।


नायब तहसीलदार
प्रतापगंज बाराबंकी

वाद सं०-

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के नामान्तरण प्रतिवेदन के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। कंता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साम्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 606 के गाटा सं० 27ठ/0.2500हे० में से 0.0833हे० से विक्रेता एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर कंता बेस्टोन स्टेट प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 4339 दिनांक 15-02-2024 (प्रतिफल 36,00,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।



नायब तहसीलदार
प्रतापगंज बाराबंकी

वाद सं०-

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के नामान्तरण प्रतिवेदन के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्दिवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 1185 के गाटा सं० 89/0.3670हे० में से 0.0306हे० व गाटा सं० 118/0.3670हे० में से 0.0306हे० व गाटा सं० 120/0.1040हे० में से 0.0086हे० व गाटा सं० 374/0.3540हे० में से 0.0295हे० से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र चन्दी निवासी ग्राम व पोस्ट तिन्दोला परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता कालिस्ता एम्पायर प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 25944 दिनांक 01-12-2022 (प्रतिफल 16,00,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

(4)

नायब तहसीलदार
प्रतापगंज बाराबंकी

वाद सं०-

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना-देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 488 के गाटा सं० 43/0.2400 हे० व गाटा सं० 44/0.2830 हे० व गाटा सं० 49/0.4970 हे० व खाता सं० 68 के गाटा सं० 48/0.3500 हे० कुल चार किता कुल रकबा 1.3700 हे० से विक्रेता गैलेन्ट लाईफ स्पेस प्रा० लि० डेवलापर्स प्रा० लि० द्वारा अतिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र आर्यानि पाण्डेय निवासी सी०/६१ए विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शिव जनम चौधरी पुत्र श्री सी०डी० चौधरी आर/०८१ बाल विहार पिकनिक स्पार्ट रोड फरीद नगर सीमैप लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 7333 दिनांक 25-09-2025 (प्रतिफल 10,32,26760/-रु०)के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

(Signature)

नायब तहसीलदार
प्रतापगंज, बाराबंकी

सलीम खान जैन
कलेक्टर कचहरी, बाराबंकी

Ref/Print

वाद सं०-

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के नामान्तरण प्रतिवेदन के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिघर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 608 के गाटा सं० 184फ/0.2500हे० में से 0.1450हे० से विक्रेता रामपाल पुत्र पुत्तिलाल निवासी चचेण्डा पो० माधोपुर परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता गैलेन्ट मेटालिक्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 20803 दिनांक 30-07-2024 (प्रतिफल 33,00,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिघर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।



नायब तहसीलदार
प्रतापगंज बाराबंकी



मण्डल:- अयोध्या, जनपद:- बाराबंकी, तहसील:- नबाबगंज

न्यायालय नायब तहसीलदार, देवा

वाद संख्या:- 34838/2025

बेस्टोन स्टेट प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय

बनाम

एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0

डायरेक्टर कुशल कुमार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202504120134838

अंतर्गत धारा:- 34, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 19/12/2025

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली किया गया है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में असल विक्रय विलेख व 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्घरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय विलेख के अनुसार क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-

आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नबाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ0 के खाता सं0-441 के गाटा सं0 170/0.1070हे0 व गाटा सं0 171/0.4110हे0 व गाटा सं0 173/0.0630हे0 कुल 03 कित्ता में से 0.0870हे0 से विक्रेता एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा0 लि0 कार्यालय पता विला नं0 4 शालीमार रोड 10 जापलिंग रोड जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री रामसहाय पाण्डेय निवासी सी1/190, विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय विलेख सं0 4338 दिनांक 15.02.2024 (प्रतिफल 45,00,000/-रु0) के आधार पर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

देवा, बाराबंकी



वाद सं०

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दिनांक 18-7-2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने प्रार्थनापत्र बाजदायर प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी ने साक्ष्य में बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवाँ तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 0470 के गाटा सं० 14/0.2380 हे० सम्पूर्ण रक्बा व गाटा सं० 19/0.2140 हे० सम्पूर्ण रक्बा व गाटा सं० 20/0.0050 हे० सम्पूर्ण रक्बा से विक्रेता जतिन इन्फ्राबिल्डर्स प्रा०लि० द्वारा अमित कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खरिका तेलीबाग लखनऊ व फिनिक्स बिल्डटेक एल०एल०पी० द्वारा अमित कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खरिका तेलीबाग लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता वैटिकन इस्टेट प्रा०लि० द्वारा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० डा० एच०एन० श्रीवास्तव निवासी भवन सं० 503/67/1 मनकामेश्वर मंदिर मार्ग डालीगंज लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 25726 दिनांक 29-11-2022 (प्रतिफल 58,77,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।



नायब तहसीलदार
देवाँ, बाराबंकी



न्यायालय : - तहसीलदार

मण्डल : अयोध्या , जनपद : बाराबंकी , तहसील : नवाबगंज

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202204120122766

वाद संख्या:- 22766/2022

वे०स्टे०प्रा०लि०द्व०अ०ह०विवेकपाण्डेय बनाम एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा अधि०ह० कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 31/12/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इतिहास निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि दाखिल हुई। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कालान्तर में वाद दिनांक 14.12.2022 को वादी की अुपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया जिसके विरुद्ध वादी द्वारा बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जा न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा दाखिल उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र के अनुसार क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427-1432 फ0 की खाता संख्या-00608 की गाटा सं0-175/0.1250हे0 व खाता सं0-00607 की गाटा सं0-184ब/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1460हे0 व खाता सं0-00610 की गाटा सं0-184घ/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1460हे0 व खाता सं0-00610 की गाटा सं0-184फ/0.2500हे0 मे से रकबा-0.061हे0 व खाता सं0-00415 की गाटा सं0-184भ/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1410हे0 व खाता सं0-00416 की गाटा सं0-27च/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1880हे0 व खाता सं0-00144 की गाटा सं0-27ड/0.5000हे0 मे से रकबा-0.1890हे0 व खाता सं0-00776 की गाटा सं0-27घ/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1890हे0 व खाता सं0-00144 की गाटा सं0-27ठ/0.2500हे0 मे से रकबा-0.1250हे0 व खाता संख्या- 00609 की गाटा सं0-27क/0.2500 हे0 मे से रकबा-0.1890हे0 भूराजस्व परता खाता से विक्रेता एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता वेटिकन स्टेट प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र रामसहाय पाण्डेय निवासी सी-1/190 विशेष खण्ड गोमती नगर जिला लखनऊ का नाम जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक 22138 दिनांक 03.10.2022 (प्रतिफल 2,51,90,000/-रू0) बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र विक्रम सिंह)

तहसीलदार

नवाबगंज, बाराबंकी।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

बाद सं०-


निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण बाद उपनिबन्धक नवाबगंज के आघार पर योजित हुआ। बाद पंजीकृत करके नियमानुसार इतिहास निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विकेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना-देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 285 के गाटा सं० 51मि०/0.0670 हे० मे से 0.00494 हे० व खाता सं० 1085 के गाटा सं० 192मि०/0.1860 हे० मे से 0.01377 हे० व खाता सं० 472 के गाटा सं० 70/0.2800 हे० मे से 0.0700 हे० व गाटा सं० 71/0.0300 हे० मे से 0.0075 हे० व गाटा सं० 106/0.2220 हे० मे से 0.0555 हे० व खाता सं० 441 के गाटा सं० 170/0.1070 हे० व गाटा सं० 171/0.4110 हे० व गाटा सं० 173/0.0630 हे० मे से 0.42113 हे० कुल आठ किता कुल रकबा 1.366 हे० मे से विकित रकबा 0.57284 हे० से विकेता ग्रे रॉक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताछरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेष खण्ड गौमती नगर लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता ईवाल्व लिंक इन्फ्राकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताछरी संदीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव निवासी खोद्दा टोला सिंधडीया खोराबार उर्फ सुबाबाजार जिला गोरखपुर का नाम जरिये बैनामा सं० 31366 दिनांक 07-12-2023 (प्रतिफल 9500000/-रु०)के आघार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्धदण्ड देय नहीं है।


नायब तहसीलदार
प्रतापगंज, बाराबंकी

आदेशादीकार - ज.क. मंडळ कडस। $\frac{66}{15-1-24}$ मी आदेशा हुआ कि प्राक सिद्धेला वी
 मकर-११२ से मूलक रूह्य पुत्र वारीका के लक्षण पर बहार पकील श्री नेशन पुत्र शरीक,
 शिवकुल उरु शिवलान्, अशोक पुष्पका देवा व लजानी नेका देवा व निमला पली मंगल
 व निमल संजम रामसहा. संतोप सिधुन पुष्पका मंगल व पुद्दु व सुनील पुष्पका अवधाल
 अकमदरि सं। $\frac{24}{19-1-24}$

आदेशानुसार एका - उ.क. अक्षय कडस। $\frac{167}{24-2-24}$ मी आदेशा हुआ कि मकर ३१४ मंगल
०-१३२ से ले विद्वित श्री ०-०६६ हे. वैशाख ४३४४ दिनांक १५-०२-२४ मी, अक्षय पर श्री नेशन पुत्र वारीका
 शिवकुल उरु शिवलान्, अशोक पुष्पका ल. देवा श्री मरी लजानी पली ल. देवा श्री मरी निमला पली
 मंगल निमल, संजम, रामसहा. संतोप, सिधुन पुष्पका मंगल, पुद्दु व सुनील पुष्पका अवधाल नि. ११०
 सिद्धेला वेकानपर सेला सीमेत जमिल कर्मण पला १-५ सुनील अई-बिली लोपनी का विला
 लकडु का अक्षय हागाकरी विदेव जलप पुत्र श्री लकसहा जलप नि १-४/१० विशेष जण के मरीका
 लकडु अकम सं. ३ वैशाख ४३४४ सं। $\frac{24}{20-2-24}$

सम उनीला
 वैशाख शुभ जात्र
 पली
 २५-१२-२०२५

जीत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग - 1

ग्राम.....सिन्धुवा..... परगना.....डीवा..... तहसील.....सिन्धुवा..... जिला.....सिन्धुवा.....

क्रमांक	खातेदार का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	वर्ग	वर्ग	खाता संख्या	मूल जोत							कटौती	क्षेत्रफल कटौती	लगान कटौती	सुआवजा	मूल्यांकन	वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	दर	मूल्यांकन	शुद्ध लगान	पिवरण
					गाटा संख्या	क्षेत्रफल	चक बाहर	चक अन्दर	दर	मूल्यांकन	लगान												
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	21-	22-	23-	24-
312	शिवम पुत्र संगोप पुनर सि. गा.म सुदीपुर पो. पो.पु तह. महाराजगढ़ वि.स. सीतापुर	श.सु.	B.सु. 5	322	0.025	-	0.025	60	24		0.22	0.004	0.025	24	6.2	5	322	0.025	60	24	24	-	
<p>आदेशानुसार लहा चक अर्ध 0.025 का दर 282 का दर 92 से आदेशानुसार 312 की गणना 322 चकका 0.025 से लगान रु. 660 दि. 13.9.2028 के अनुसार ज. सिन्धुवा शिवम पुत्र संगोप पुनर सि. गा.म सुदीपुर पो. पो.पु तह. महाराजगढ़ वि.स. सीतापुर के निर्दिष्ट दर 3/28 मिलाकर रु. 505 मो. रु. 100 से रु. 405 का निर्धारण किया गया है।</p> <p>अधिकतम रु. 1000 तक का दर 3/28 मिलाकर रु. 505 मो. रु. 100 से रु. 405 का निर्धारण किया गया है।</p> <p>दिनांक 01.06.28</p>																							

आदेशाद्वारा लहाण-पका अधिकार नमस्तः 389
23-12-2024 धारा 92 मे आदेश हुआ कि गावां 325 वस्तु
60 टप्टे से बैंगला 22986 दिनांक 20.10.2022 के अध्याय पर विदेशी कर्मचारी रिपल हंडल एण्ड विलेटेक
 एजेंसी. कर्मचारी 3/22 निजाम एण्ड जेम्सलीगा लखनऊ रीजल एण्ड कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. कर्मचारी विलान 4
 नि कर्मचारी कर्मता विलान लखनऊ का नम निजाम एण्ड कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. कर्मचारी विलान 4
 शर्तीगा ग्रेड-90 जापलिन टोड विला लखनऊ रीजल एण्ड कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. कर्मचारी विलान 4
 नि सी 1/190 दिशेफ्टण्ड जेम्सलीगा लखनऊ का नम बैंगला 22986 प्र. लि. एडव. 3
23/12/2024 20.12.2024

सरपंच श्री वैद्यनाथ

मुलकास निजाम

20.12.2024

प्रतिलिपि जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग 1 (नियम)

नाम गाँव..... तिनोला परगना..... तैवां तहसील..... जिला..... चाराबेड़ी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
9-8	एच० एम० एल० ग्रामी सही प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी-632/22 ए नया पंचवटी कभरा जिला लखनऊ	संख्या 1260 क०	868	393/9	0.060	-	0.060	80/	2.50	-	0.06	0.002	0.06	0.92	-	संख्या 393/9	0.060	80/	2.50	0.36	-	-	-	-
				393/2	0.908	-	0.908	80/	5.00	-						393/2	0.908	80/	5.00					
				398	0.066	-	0.066	80/	2.68	-						398	0.066	80/	2.68					
				श.क्रमा 0.220	-	0.230	-	10.98	90.98							3 क्रिया	0.230	-	90.98					
<p>जोत मुरसा श्रीमंत च भूमि मंदिर वाड से 12 मी. दूरी में आदेश हुआ कि गाँव तिनोला कि गाँव से 393/9 रकबा 0.060 हे० व 393/2 रकबा 0.908 हे० व गाँव से 398 रकबा 0.066 हे० से विक्रेता एच० एम० एल० ग्रामी सही प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 632/22 ए नया पंचवटी कभरा जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके जेता एल० एस० विल्लुवन प्रा० लि० कार्यालय जिला न०। शालीमार रोड 90 पापलिन रोड जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विपेक माहेश्वर पुत्र रामशरण पाण्डेय निवासी सी 9/9 ए० विरोध खास गोमती नगर लखनऊ का नाम रजिस्ट्री के नामांतर संख्या 22926 दिनांक 3.10.2022 के आस्था पर अंतरा लेना प्रमाण संभूत है।</p>																								
<p>हो लखनऊ 92.5.88 20.8.98</p>																								
<p>नरूप प्रतिलिपि दोषानिक कुलक प्राप्ति</p>																								
<p>3 24.12.25</p>																								

जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग - 1

ग्राम... तिरोडा परगना... देवां तहसील... नवलपरासी जिला... बाराबंकी

क्रमांक	खातेदार का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	वर्ग	वर्ग	खाता संख्या	मूल जोत						कटौती	क्षेत्रफल कटौती	लगान कटौती	मुभावजा	मूल्यांकन	वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	दर	मूल्यांकन	शुद्ध लगान	विवरण		
					गाटा संख्या	क्षेत्रफल	चक वाहर	चक अन्दर	दर	मूल्यांकन													लगान	
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	21-	22-	23-	24-	
692	रामशंकर वंश पुत्र वरसारी लाल निवासी नं० 70966 दौरा-जौदगंज-जिला लखनऊ।	संभू	प्रव स 9326	899	326	0.236	-	0.236	60	28	-	9.96	0.0236	0.0236	3.32	22.28	संभू	326	0.236	60	960	5.22		
<p>आदेश नुसार श्रीमान - श्री. मोहन दास सं० 3084 द. 99. 2025 द्वारा 92 के आदेश हुका कि गाटा सं० 326 रकबा 0.0236 हे से विक्रित शकसफ वकी पुत्र वरसारी लाल निवासी नं० 70966 दौरा-जौदगंज जिला लखनऊ का नाम खारिज करके श्रीमान वंश पुत्र वरसारी लाल निवासी नं० 70966 दौरा-जौदगंज जिला लखनऊ का नाम खारिज करके अर्थात् हस्ताक्षरी विवरण प्रमाण का प्रमाण कालिका कालिका नं० 4 शाहीमाल गेट 90 जापलिंग रोड जिला लखनऊ द्वारा रजिस्ट्री के माता संख्या 96892 दिनांक 26.6.2022 के आधार पर खतौर बंकीदार संभू दर्ज हैं।</p>																								
<p>सत्यप्रतिक्रिया</p> <p>लेखानिक मूल्य प्राप्ति</p> <p style="text-align: right;">24.12.25</p>																								

26/12/2028



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120134818
वाद संख्या:- 34818/2025

ईवाल्व लिंक इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय बनाम एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 19/12/2025

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली किया गया है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में असल विक्रय विलेख व उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय विलेख के अनुसार क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-

आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ0 के खाता सं0-441 के गाटा सं0 170/0.1070हे0 व गाटा सं0 171/0.4110हे0 व गाटा सं0 173/0.0630हे0 कुल 03 किता में से 0.0055हे0 से विक्रेता एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता ईवाल्व लिंक इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 कार्यालय पता विला नं0 4 शालीमार रोड 10 जापलिंग रोड जिला लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री रामसहाय पाण्डेय निवासी सी1/190, विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय विलेख सं0 19839 दिनांक 14.07.2025 (प्रतिफल 2,66,000/-रू0) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - नायब तहसीलदार, नवाबगंज
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120110770

वाद संख्या:- 10770/2025

विवेक पाण्डेय बनाम अष्टविनायक इन्फ्राडेवलपर्स एल०एल०पी० द्वारा अ०ह० अमित कुमार सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 01/12/2025

वाद सं०-955

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.04.2025 के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 23-06-2025 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र०रा० संहिता की धारा 89 के अर्तगत शपथ पत्र दाखिल हुआ। क्रेता विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय की आरे से जरिये नोटरी शपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि मैंने ग्राम खजूरगांव परगना देवा की गाटा सं० 33, 34, 35, 36, 41, 79, 87, 167, 353 में भूमि अष्ट विनायक इन्फ्रा से दिनांक 01.04.2025 को क्रय की गई थी। जिसमें गाटा सं० 353 रकबा 0.0610हे० में भूमि शेष नहीं बचती है। ऐसी स्थिति उपरोक्त गाटा सं० 353 को छोड़कर आदेश पारित कर दिया जावे जिसमें शपथकर्ता सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं०-0061 के गाटा सं० 33/0.1400हे० में से 0.0467हे० से व गाटा सं० 34/0.2100हे० में से 0.0700हे० से व गाटा सं० 35/0.2340हे० में से 0.0780हे० से व गाटा सं० 36/0.0920हे० में से 0.0307हे० से व गाटा सं० 41/0.2840हे० में से 0.0946हे० से व गाटा सं० 79/0.2390हे० में से 0.0796हे० से व गाटा सं० 87/0.1580हे० में से 0.0526हे० से व गाटा सं० 167/0.1900हे० में से 0.0633हे० से विक्रेता अष्टविनायक इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खरीका तेलीबाग जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी 1/190 विशेषखण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 9261 दिनांक 01-04-2025 (प्रतिफल 3,50,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

नवाबगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक



सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार, न्यायिक

मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2022041214279

वाद संख्या:- 14279/2022

ब्लूंबिंप्रांलिंअंहंविवेकपाण्डेय बनाम एच०के० रियलइन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एल०एल०पी० ट्वा०पार्ट० कुशल कुमार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 16/01/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद विक्रय विलेख, मय आवेदक की भूमि के अंतरण की रिपोर्ट आर०सी० प्रपत्र 11 के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर इतिहास/नोटिस जारी की गयी। जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया। उक्त वाद दिनांक 30.08.2022 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बिक्रीत भूमि सीलिंग, पट्टा, भूदान इत्यादि की नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 01056 के गाटा सं० 128/0.1040हे० व खाता सं० 0254 के गाटा सं० 361/0.239हे० व खाता सं० 0280 के गाटा सं० 121/0.481हे० व गाटा सं० 127/0.126हे० व गाटा सं० 130/0.2180हे० व खाता सं० 0279 के गाटा सं० 368/0.493हे० व खाता सं० 0639 के गाटा सं० 344/0.202हे० व गाटा सं० 367/0.5310हे० व खाता सं० 0185 के गाटा सं० 12/0.038हे० व गाटा सं० 371/ 0.253हे० व गाटा सं० 378/0.1390हे० सम्पूर्ण अंश मा०सा० परता खाता से विक्रेता एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी:-633/22 ए, नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता ब्लूस्पेस बिल्डकॉन प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी-सी1/190, विशेष खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये पंजीकृत बैनामा सं० 15056 दिनांक 12.07.2022ई० (प्रतिफल-1,48,69,000.00/-रूपये) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र विक्रम सिंह)

तहसीलदार न्यायिक

नवाबगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2022041214281
वाद संख्या:- 14281/2022

ग्रे रॉकेट प्रांलिअंह विवेक पाण्डेय बनाम एचके रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एलएलपी द्वारा पार्टनर कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/01/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद विक्रय विलेख, मय आवेदक की भूमि के अंतरण की रिपोर्ट आर0सी0 प्रपत्र 11 के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर इतिहास/नोटिस जारी की गयी। जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में असल बैनामा व उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया। उक्त वाद दिनांक 30.08.2022 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बिक्रीत भूमि सीलिंग, पट्टा, भूदान इत्यादि की नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ0 के खाता सं0 055 के गाटा सं0 76/0.2980हे0 व गाटा सं0 77/0.0150हे0 सम्पूर्ण अंश मा0सा0 परता खाता से विक्रेता एचके रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एलएलपी द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी:-633/22 ए, नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता ग्रे रॉक डेवलपर्स प्रांलि द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी:-सी1/190, विशेष खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का नाम जरिये पंजीकृत बैनामा सं0 15062 दिनांक 12.07.2022ई0 (प्रतिफल-54,06,000.00/-रूपये) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र विक्रम सिंह)

तहसीलदार न्यायिक

नवाबगंज, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

वाद सं०-


निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 30.12.2025 को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा बैनामा की सत्य प्रतिलिपि व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व उधरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना-व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 111 के गाटा सं० 47/0.4630 हे० व खाता सं० 110 के गाटा सं० 184घ/0.2000 हे० व खाता सं० 1168 के गाटा सं० 184च/0.1000 हे० व खाता सं० 1172 के गाटा सं० 184त/0.1000 हे० से विक्रेता ऊषा टेक्नोबिल्ड प्रा०लि० द्वारा पंकज वर्मा पुत्र जयशंकर वर्मा निवासी सी०पी० 3 विक्रान्त खण्ड गोमती नगर जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता वेटिकन स्टेट प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताछरी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० एच०एन० श्रीवास्तव निवासी म०नं० 503/67/1 मनकामेश्वर मंदिर मार्ग बरौलिया आंशिक डालिगंज लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 25723 दिनांक 29-11-2022 (प्रतिफल 13126,000/-रु०)के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।



नायब तहसीलदार
प्रतापगंज, बाराबंकी

वाद सं० 2400


निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दिनांक 16-10-2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने प्रार्थनापत्र बाजदायर प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी की नकल दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार विक्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजुरगांव परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 132 के गाटा सं० 187/0.2360हे० मे से रकबा 0.0785हे० व खाता सं० 285 के गाटा सं० 51मि०/0.0670हे० मे से रकबा 0.02225हे० कुल 2 किता रकबा 0.1007हे० अपने सम्पूर्ण भाग से विक्रेता दिनेश चन्द्र उर्फ दिनेश पुत्र मोतीलाल निवासीगण-ग्राम दुन्दपुरवा मजरे नगर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 25019 दिनांक 24-12-2021 (प्रतिफल 38,00,000रु०/-) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। बादहू विक्रेता एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता ग्रे रॉक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी०/190 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 15059 दिनांक 12-07-2022 (प्रतिफल 46,08,000रु०/-)/ के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।


नायब तहसीलदार
सफेदाबाद, बाराबंकी



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202504120134736
वाद संख्या:- 34736/2025
बेस्टोन स्टेट प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय बनाम एच0एम0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कृशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/02/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली किया गया है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि0 16.12.2025 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में असल विक्रय विलेख व उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल किया गया। मूल खातेदार/विक्रेता प्रताप सिंह पुत्र पितई ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2020 को एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी को तहरीर किया गया। एच0एम0एस0 ग्रीन सिटी ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2024 को बेस्टोन स्टेट प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय को तहरीर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय विलेख के अनुसार क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-
आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ0 के खाता सं0-1052 के गाटा सं0 42/0.0130हे0 में से 0.0065हे0 से विक्रेता एम0एच0एस0 ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कृशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ व खाता सं0 85 के गाटा सं0 244/0.2100हे0 में से 0.035हे0 से विक्रेता प्रताप सिंह पुत्र पितई निवासी ग्राम नगर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं0 3124/4342 दिनांक 17.02.2020/15.02.2024 (प्रतिफल 20,00,000/-रू0) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404120112363
वाद संख्या:- 12363/2024
विवेक पाण्डेय बनाम रानी अग्रवाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/02/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली किया गया है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 20.08.2024 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में असल विक्रय विलेख व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्घरण खतौनी दाखिल किया गया। मूल खातेदार/विक्रेता अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त पुत्र परागी ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2003 को श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी मोती चन्द्र को तहरीर किया गया। श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी मोती चन्द्र ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2024 को बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय को तहरीर किया गया। मूल खातेदार/विक्रेता अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त पुत्र परागी की मृत्यु हो चुकी है। जिनके जायज वारिस आनन्द प्रकाश व राजकुमार वर्मा व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त व श्रीमती प्रीति वर्मा पत्नी सुशील कुमार है। जो कि वर्तमान खतौनी पर दर्ज खातेदार है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। विक्रय विलेख के अनुसार क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-
आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं०-432 के गाटा सं० 27जमि०/0.0510हे० में से 0.0256हे० से विक्रेता आनन्द प्रकाश व राजकुमार वर्मा व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त व खाता सं० 880 के गाटा सं० 27जमि०/0.0250हे० विक्रेता श्रीमती प्रीति वर्मा पत्नी सुशील कुमार निवासीगण ग्राम व पोस्ट तिन्दोला परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी१/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 17564 दिनांक 24.12.2003/29.06.2024 (प्रतिफल 31,52,000/-रु०) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, देवा
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202404120112362
वाद संख्या:- 12362/2024
विवेक पाण्डेय बनाम रानी अग्रवाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/02/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इश्तिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली किया गया है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त वाद दि० 22.08.2024 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में असल विकय विलेख व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्घरण खतौनी दाखिल किया गया। मूल खातेदार / विक्रेता अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त पुत्र परागी ने उक्त विकय पत्र दिनांक 24.12.2003 को श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी मोती चन्द्र को तहरीर किया गया। श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी मोती चन्द्र ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2024 को बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय को तहरीर किया गया। मूल खातेदार / विक्रेता अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त पुत्र परागी की मृत्यु हो चुकी है। जिनके जायज वारिस आनन्द प्रकाश व राजकुमार वर्मा व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त है। जो कि वर्तमान खतौनी पर दर्ज खातेदार है। उक्त गाटा सं० 20 जो चकबन्दी के पूर्व का है। जिसका नया गाटा सं० 25 व 28 बना है। जो च० आकार पत्र 41-45 की छायाप्रति दाखिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार केता के पास 12.5 एकड से अधिक भूमि नहीं है। विकय विलेख के अनुसार केता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश किया जाता है:-

आदेश

ग्राम-खजूरगांव परगना-देवा तहसील-नवाबगंज की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं०-1051 के गाटा सं० 25/0.0280हे० में से 0.0093हे० से व गाटा सं० 28/0.5470हे० में से 0.1823हे० से विक्रेता आनन्द प्रकाश व राजकुमार वर्मा व सुशील कुमार पुत्रगण स्व० अयोध्या प्रसाद उर्फ महन्त निवासीगण ग्राम व पोस्ट तिन्दोला परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केता बेस्टोन स्टेट प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी० 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र सं० 17563 दिनांक 24.12.2003/29.06.2024 (प्रतिफल 47,04,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो। अर्थ दण्ड देय नहीं है।

नायब तहसीलदार

देवा, बाराबंकी



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार, न्यायिक
मण्डल : अयोध्या , जनपद : बाराबंकी , तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2021041212370
वाद संख्या:- 12370/2021
एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर हबीबउल्ला खॉ बनाम मो० शमील
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/02/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद विक्रय विलेख, मय आवेदक की भूमि के अंतरण की रिपोर्ट आर०सी० प्रपत्र 11 के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर इतिहास/नोटिस जारी की गयी। जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में असल बैनामा व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया। उक्त वाद दिनांक 30.09.2021 को साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। वादी ने बाजदायर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। क्रेता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। बिक्रीत भूमि सीलिंग, पट्टा, भूदान इत्यादि की नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 0489 के गाटा सं० 184झ/0.100हे० सम्पूर्ण अंश मा०सा० परता खाता से विक्रेता मो० शमील पुत्र वारिस व खाता सं० 184ट/0.100हे० सम्पूर्ण अंश मा०सा० परता खाता से विक्रेता अंसार अली पुत्र मोहरर्म अली नाई व श्रीमती अलीमुन पत्नी मोहरर्म अली नाई निवासीगण:-ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर हबीबउल्ला खॉ पुत्र अब्दुल्ला खॉ निवासी-सी/116, मोहल्ला बेगमगंज शहर व परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम जरिये पंजीकृत बैनामा सं० 14708 दिनांक 12.08.2021 (प्रतिफल-30,50,000.00/-रूपये) के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

(भूपेन्द्र विक्रम सिंह)

तहसीलदार न्यायिक

नवाबगंज , बाराबंकी

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Hindi

Download PDF

← Back

उत्तरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ग्राम कोड : 164574

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30
जून, 2025)

खाता संख्या : 00057

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (ग्रनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
40	1) अष्टविनायक इन्फ्राडेवलपर्स / - / -			40 (1645740040000012)	0.2400			5.00

<p>2) प्रा0लि041,गनेशीपुरी शिवाजी / - / -</p> <p>3) मार्ग लखनऊ द्वारा डायरेक्टर / - / -</p> <p>4) घनश्याम दास अग्रवाल / मोती चन्द्र अग्रवाल / नि.डालीगंज पर0 व तह0 व जि0लखनऊ</p>							
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव दो चार शून्य शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : पांच दशमलव शून्य शून्य रुपये
---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------

अप्रमाणित

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
	(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता- पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड
1) राजस्व न्यायालय (नायब तहसीलदार) / T2022041211967 / 13- 04-2023 / विक्रय / RAJENDRA KUMAR (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 06- 04-2024	1.1) अष्टविनायक इन्फ्राडेवलपर्स/-/- (: -) 1.2) प्रा०लि०४१,गनेशीपुरी शिवाजी/-/- (: -) 1.3) मार्ग लखनऊ द्वारा डायरेक्टर/-/- (: -)	40 (1645740040000012)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000	1.1) गैलेन्ट लाइफस्पेस डेवलपर्स प्रा० लि० / द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री आर० एस० पाण्ड / निवासी सी-1/190, विशेषखण्ड	40 (1645740040000012)	1.1) 0.0000

भूलेख

गोमतीनगर,
लखनऊ

आप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1430फ0 (सन् 2023ई0) आदेशानुसार श्रीमान ना0तह0महो0 नवाबगंज वाद सं0 T2022041211967/1620/1636/13.4.23 द्वारा खाता सं0 68 की गाटा सं0 39/0.3040हे0 में से 0.1520हे0 व खाता सं0 57 की गाटा सं0 40/0.2400हे0 में से 0.0600हे0 व खाता सं0 66 की गाटा सं0 51मि0/0.0220हे0 सम्पूर्ण अंश से व खाता सं0 1049 की गाटा सं0 50ख/0.0250हे0 में से 0.0083हे0 व 58/0.2300हे0 में से 0.0760हे0 व 125/0.2780हे0 मे से 0.0926हे0 व खाता सं0 56 की गाटा सं0 184प/0.1480हे0 में से 0.0986हे0 व खाता सं0 64 की गाटा सं0 187मि0/0.0780हे0 सम्पूर्ण अंश से व खाता सं0 63 की गाटा सं0 222मि0/0.0680हे0 सम्पूर्ण अंश से व खाता सं0 67 की गाटा सं0 245मि0/0.1092हे0 सम्पूर्ण अंश से विक्रेता अष्टविनायक इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित कुमार सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खनका, तेलीबाग, लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता गैलेन्ट लाइफस्पेस डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री आर0 एस0 पाण्डेय निवासी सी-1/190, विशेषखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं0 12937 दिनांक 18-06-2022 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह0र0का0 19.5.23

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

आप्रमाणित प्रति



न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202204120122764
वाद संख्या:- 22764/2022

वे०स्ते०प्रा०लि०द्व०अ०ह०विवेकपाण्डेय बनाम एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा अ० ह० कुशल कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 23/02/2026

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ। वाद पंजीकृत कर नियमानुसार इशतिहार निर्गत किये गये जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज द्वारा प्रेषित बैनामा की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। नामान्तरण प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। कालान्तर में वाद दिनांक 30.12.2022 को वादी की पेरवी एवं साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया जिसके विरुद्ध वादी द्वारा बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र व उद्धरण खतौनी दाखिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता व केता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा दाखिल उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 के अन्तर्गत शपथ पत्र के अनुसार केता के पास प्रश्नगत आराजी को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है। साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427-1432 फ० की खाता संख्या-00489 की गाटा संख्या-184इ/0.1000हे० व खाता संख्या-01177 की गाटा संख्या-184ट/0.1000हे० भूराजस्व परता खाता से विक्रेता एच०एम०एस० ग्रीन सिटी प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22 ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके केता वैटिकन स्टेट प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र राम सहाय पाण्डेय निवासी सी1/190 विशेष खण्ड गोमती नगर जिला लखनऊ का नाम जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रमांक 22130 दिनांक 03.10.2022 (प्रतिफल 33,38,000/-रु०) बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, सतरिख
 मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नवाबगंज
 वाद संख्या :- 3975/2026
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202604120103975
 स्टेट प्रा० लि० द्वारा विवेक पाण्डेय बनाम अस्टे विनायक इफा० डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अमित कुमार सिंह
 अतगत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं०

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी ने साक्ष्य में बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवों तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 061 के गाटा सं० 033/0.1400 हे०के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 34/0.2100 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 35/0.2340 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 36/0.0920 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 41/0.2840 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 79/0.2390 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 87/0.1580 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 167/0.1900 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश से विक्रेता अष्टविनायक इन्फ्राडेवलपर्स प्रा०लि० 41 गनेशीपुरी शिवाजी मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गोपालनगर खरिका तेलीबाग लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता वैटिकन इस्टेट प्रा०लि० द्वारा विवेक पाण्डेय पुत्र श्री आर०एस०पाण्डेय निवासी सी-1/190 विशेषखण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 25727 दिनांक 29-11-2022 (प्रतिफल 65,27,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

दिनांक - 10.03.26

नायब तहसीलदार
 सतरिख, बाराबंकी

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, सतरिख
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : नबाबगंज
वाद संख्या :- 3973/2026

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202604120103973

बिल्डकॉन प्रा० लि० द्वारा विवेक पाण्डेय बनाम एच० के० रियल इफा० एण्ड बिल्डटेक द्वारा कुशल कुमार
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं०

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के आधार पर योजित हुआ। वाद पंजीकृत करके नियमानुसार इशितहार निर्गत किये गये जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। वादी ने साक्ष्य में बैनामा की प्रति व उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89 के अन्तर्गत शपथपत्र व नकल खतौनी दाखिल किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि विक्रेता के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है। बैनामा के अनुसार विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। वादी द्वारा शपथपत्र के अनुसार क्रेता के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। वाद निर्विवाद है, साक्ष्य पूर्ण है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :-

आदेश

ग्राम खजूरगांव परगना देवी तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी की खतौनी सन् 1427 ता 1432 फ० के खाता सं० 0185 के गाटा सं० 12/0.0380 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 377/0.2530 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 378/0.1390 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व गाटा सं० 380/0.5420 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश व खाता सं० 552 के गाटा सं० 377/0.2530 हे० के अपने सम्पूर्ण अंश से विक्रेता एच०के० रियल इन्फ्रा एण्ड बिल्डटेक एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर कुशल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी 633/22ए नया पंचवटी कमता जिला लखनऊ का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता ब्लूस्पेस बिल्डकॉन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक पाण्डेय पुत्र श्री राम सहाय पाण्डेय निवासी सी 1/190 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम जरिये बैनामा सं० 22126 दिनांक 03-10-2022 (प्रतिफल 18,18,000/-रु०) के आधार पर संकमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो। अर्थदण्ड देय नहीं है।

दिनांक 17-3-26

Amjankhal
नायब तहसीलदार
सतरिख, बाराबंकी